

राजस्थान सरकार  
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान जयपुर


क्रमांक: प.2/ओ.एण्ड एम./13/आ0कृ0/ 3226-3290

दिनांक: 19-09-19

परिपत्र

प्रायः यह देखा गया है कि आयुक्तालय स्तर पर कार्यरत कुछ अधिकारी/कर्मचारी अवकाश के दिन राजकीय कार्य होने की स्थिति में मुख्यालय पर नहीं मिलते हैं। ऐसे में विभागीय कार्यों के सुचारु रूप से सम्पादन हेतु निर्देशित किया जाता है कि आयुक्तालय में कार्यरत सभी अधिकारी/कर्मचारी सक्षम स्तर से पूर्वानुमति उपरान्त ही मुख्यालय छोड़ेंगे।

इस क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि संयुक्त निदेशक व अन्य वरिष्ठ अधिकारी आयुक्त कृषि से पूर्वानुमति लेकर ही मुख्यालय से प्रस्थान करेंगे एवं अन्य सभी अधिकारी/कर्मचारी उनके नियंत्रण अधिकारी/प्रभारी अधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त करके मुख्यालय छोड़ सकेंगे।


  
14.9.19  
(डॉ० ओम प्रकाश)  
आयुक्त, कृषि

क्रमांक: प.2/ओ.एण्ड एम./13/आ0कृ0/ 3226-3290

दिनांक: 19-09-19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, आयुक्त कृषि, कृषि आयुक्तालय, राज० जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, कृषि आयुक्तालय, राज० जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक कृषि (विस्तार/अनुसंधान/आदान), कृषि आयुक्तालय, राज० जयपुर।
4. समस्त संयुक्त निदेशक कृषि, कृषि आयुक्तालय, राज० जयपुर।
5. समस्त उप निदेशक कृषि, कृषि आयुक्तालय, राज० जयपुर।
6. उप विधि परामर्शी, कृषि आयुक्तालय, राज० जयपुर।
7. समस्त सहायक निदेशक/कृषि अनुसंधान अधिकारी/कृषि अधिकारी मु०।
8. केयर टेकर, कृषि आयुक्तालय, राज० जयपुर।
9. आरक्षी/निजी पंजिका।

  
(सीताराम जाट)  
संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)